न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 शिविर ग्राम पंचायत – चण्डावल
पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 22/2020

प्रार्थी

1 महावीरसिंह पुत्र बालुसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी चण्डावल नगर तहसील– सोजत

बनाम

अप्रार्थीगण

1 राधाकिशन पुत्र बालुसिंह जाति रावणा राजपुत नि0 चण्डावल नगर, तह0 सोजत, जिला पाली, (राज0)

2. तहसीलदार(भूमिधारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री कैलाश दवे एवं कुन्दनमल अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी एवं श्री महेन्द्र कुमार चौधरी अधि0 अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: **निर्णय** :– दिनांक :– 20.10.2021

अधिवक्ता मय प्राथी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चण्डावल नगर पटवार हल्का चण्डावल नगर, तहसील सोजत में स्थित अप्रार्थीगण की कृषि जोत की भूमि ख0न0 1064/1 की जोत में से नया मार्ग अपनी खातेदारी कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 1064 तक जाने हेतु आशय रखते है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नंबर 1064 में आने–जाने अर्थात् आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1064/1 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की डी0एल0सी0 राशि जमा करवाने हेतु तैयार है।

इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 "क" राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम चण्डावल नगर, प0ह0 चण्डावल नगर, तह0 सोजत, जिला पाली राज0 के अप्रार्थीगण की कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 1064/1 रकबा 0.59 हैक्टर बा0अ0 में से 20 फुट चौड़ा रास्ता जो प्रा0 पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है, रास्ता घोषित किया जाकर प्रार्थी की खसराजात कृषि जोत भूमि खसरा नंबर 1064 रकबा 0.6400 हैक्टर बा0अ0 तक आने–जाने अर्थात् आवागमन रास्ता दिलाया जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत जिला-पाली राज.

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से श्री राजेन्द्र चोधरी एवं श्री महेन्द्र कुमार चौधरी अधिवक्तागण ने दिनांक 31.08.2020 को संयुक्त वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 किया गया। दिनांक 31.08.2020 से अधिवक्ता मय अप्रार्थीगण द्वारा बार बार अवसर दिए जाने बावजूद जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने अर्थात विफल रहने से आज जबाव बंद किया जाता है। न्यायालय हाजा के पत्रांक/कोर्ट/2020/68 दिनांक 14.01.2021 को आदेशित कर तहसीलदार, सोजत से प्रार्थित रास्ते, उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ते तथा सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन किया गया है अथवा अत्यांतिक आवश्यकता है, के सम्बन्ध में बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। पटवारी हल्का चण्डावल भू0अ0 निरीक्षक चण्डावल मय तहसीलदार, सोजत द्वारा की गई जॉच रिपोर्ट अपने पत्रांक/राजस्व/2021/4172 दिनांक 20.10.2021 को प्रस्तुत की गई वस्तुस्थिति मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा डीएलसी दर की सूचना सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रा0 पत्र एवं मौका रिपोर्टानुसार प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा संख्या 1064 में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी के खसरा संख्या 1064/1 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 चण्डावल द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि दिनांक 18.10.2021 को न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्ररकण 22/2020 में वादी महावीरसिंह पुत्र बालुसिंह एवं प्रतिवादी राधाकिशन पुत्र बालुसिंह में ग्राम चण्डावल में प्रार्थी की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 1064 रकबा 0.6400 हैक्टर में आवागमन हेतु रास्ता के सम्बन्ध में मौतबिरान रूबरू मौके पर पहुॅचे। खसरा नंबर 1064 में आवागमन का वर्तमान में मौके पर रास्ता उपलब्ध नहीं है। वादी ने उक्त भूमि में आने जाने हेतु ख0न0 1064/1 से रास्ता चाहा है। उक्त खसरे में आवागमन हेतु नजदीकी खसरे नंबर 1064/1 रकबा 0.5900 है0 में से 52 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडा = 208 वर्ग मीटर अर्थात रास्ता हेतु प्रस्तावित कुल रकबा 0.0208 है0 बनता है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 150579/– रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार 0.0208 है0 की कुल राशि 150579 ×0.0208×2 गुणा 6264/– रूपये होते है। मौके पर प्रस्तावित रास्ते पर कोई निर्माण नही है। उक्त भूमि रास्ते हेतु नजदीक है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न कर उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 1064/1 से मौका फर्द में नीली स्याही से दर्शाया गया है। वस्तुस्थिति मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा संलग्न पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, उभयपक्षों को सुना तथा रेकर्ड का अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 चण्डावल, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 1064/1 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा चण्डावल, पटवार हल्का चण्डावल, तह0 सोजत जिला पाली के खसरा नंबर 1064 रकबा 0.6400 है0 किस्म बा0अ0 की भूमि में आवागमन हेतु (आने जाने का रास्ता, खसरा नम्बर 1064/1 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे नजरी नक्शा में दर्शित रास्ता) अप्रार्थीगण की ख0न0 1064/1 रकबा 0.5900 हैक्टर बा0अ0 की कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि ख0न0 1064/1 में से रास्ते हेतु रकबा 0.0208 हैक्टर (4 X 52 वर्गमी0 = 0.0208 है0) की प्रति हैक्टर 150579/—रू0 की दर से दो गुणा राशि 6264/— रूपये अक्षरे छः हजार दो सो चौसठ रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है :—

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में
1	1064/1 बा0अ0	0.5900	राधाकिशन पुत्र बालुसिंह जाति रावणा राजपुत	0.0208 (4 X 52)	6264/—
			योग :—	0.0208 है0	6264/—

तदानुसार राजस्व रेकर्ड/नक्शा में अमल दरामल/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर ग्राम पंचायत – चण्डावल

यह निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को सरे ईजलास प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प, शिविर ग्राम पंचायत चण्डावल में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर ग्राम पंचायत – चण्डावल